

**छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
दारु कल्याण सिंह भवन रायपुर**

==0==

क्रमांक एफ 6-14/2009/20-एक
प्रेषक,

रायपुर, दिनांक.....

श्रीमती बिबियाना तिकी,
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग.

प्रेषित,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, नई दिल्ली.

विषय :- लोयोला स्कूल बिलासपुर जिला बिलासपुर को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम संचालन करने की अनापत्ति दिए जाने विषयक ।

-----0-----

महोदय,

राज्य शासन एतद् द्वारा, लोयोला स्कूल बिलासपुर जिला बिलासपुर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु सहमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त संस्था के कार्यकारिणी समिति के निर्णायक मण्डल में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि मनोनीत किये जावेगा ।

भवदीया,

(बिबियाना तिकी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 24/6/09

पृ.क्रमांक एफ 6-14/2009/20-एक
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर, आपके पत्र क्रमांक/विद्या/सी.बी.एस.ई./पाठ्यक्रम/अनु./08/273, दिनांक 19.05.2008 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर,
4. प्राचार्य, लोयोला स्कूल बिलासपुर जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(B. Bishu)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

Manager
Loyola School
Bilaspur (C.G.)

Principal
Loyola School
Bilaspur (C.G.)

"कोई बच्चा छुट न जाए, हर बच्चा स्कूल में आए,
स्कूल चले हम"